संख्याः-33 /2026/1553/छिहत्तर-1-2026(CN2027542)

प्रेषक

अनुराग श्रीवास्तव,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

605 21/07/26 Copy

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
उत्तर प्रदेश।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 21 जुलाई, 2026

विषय- जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रभावी अनुश्रवण के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना "जल जीवन मिशन" के अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (Functional Household Tap Connection-FHTC) के माध्यम से सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य युद्धस्तर पर संचालित किया जा रहा है।

HR 21/7/26

2- उक्त विषयक के दृष्टिगत जनपदों में जिला पेयजल और स्वच्छता मिशन (DWSM Committee) की मासिक बैठक हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को व्यवस्थित किया गया है, ताकि इसे आसानी से पढ़ा, समझा और लागू किया जा सकेः-

1. जिला डैशबोर्ड एवं योजनाओं की समीक्षा **(District Dashboard & Project Review)**

(1) रीयल-टाइम समीक्षाः जनपद में संचालित और निर्माणाधीन सभी पेयजल योजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा पूरी तरह "Real-Time basis" पर जिला डैशबोर्ड के माध्यम से की जाएगी।

(2) घटक-वार ट्रैकिंगः समीक्षा केवल सामान्य न होकर योजना के प्रत्येक घटक (Component-wise) जैसे इंटेक वेल, पाइपलाइन, ओएचटी (OHT) और घरेलू कनेक्शन (FHTC) पर केंद्रित होगी।

(3) बाधाओं का चिन्हांकनः योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही सभी बाधाओं (Disruptions) जैसे भूमि विवाद, अंतर-विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) या तकनीकी समस्याओं की स्थिति को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाएगा।

(4) जल निगम की पुरानी योजनाएंः उत्तर प्रदेश जल निगम की पुरानी योजनाएं जो वर्तमान में निर्माणाधीन, संचालन एवं अनुरक्षण (O&M), रेट्रोफिटिंग या पुनर्गठन (Reorganization) के दौर में हैं, उनकी भी विस्तृत समीक्षा की जाएगी।

(5) विलंबित परियोजनाओं पर ध्यानः

I. जिन पुरानी या नई परियोजनाओं का निर्माण कार किसी भी कारण से विलम्बित (Delayed) हो चुका है, उन्हें विशेष प्राथमिकता पर रखते हुए विशेष रूप से समीक्षा के दायरे में लाया जाएगा।

II. प्रदेश के कुल 97,070 ग्रामों के सापेक्ष 53,836 ग्रामों में 100 प्रतिशत गृह संयोजन उपलब्ध कराए जा चुके हैं परंतु अभी तक मात्र 36,946 को ही 'हर घर जल' घोषित किया गया है। शेष ग्रामों को 'हर घर जल' घोषित किए जाने की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाए।

III. हर घर जल घोषित 36,946 ग्रामों के सापेक्ष 27,640 ग्रामों का हर घर जल प्रमाणीकरण प्रधान एवं पंचायत सचिव के माध्यम से JJM-IMIS पर किया जा चुका है। शेष 9,306 ग्रामों को जल अर्पण कार्यक्रम के माध्यम से 'हर घर जल' प्रमाणित कराए जाने तथा अंतः ग्राम अवसंरचना का संबंधित ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) को हस्तांतरण किए जाने की कार्यवाही माह सितम्बर, 2026 तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

IV. भारत सरकार द्वारा 27,502 ग्रामों में पंचायत सचिवों के माध्यम से कराए गए जल सेवा आंकलन तथा जिला तकनीकी इकाई (DTU) द्वारा किए गए उसके परीक्षण एवं सत्यापन में परिलक्षित कमियों की नियमित समीक्षा करते हुए जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) के माध्यम से District Improvement Plan (DIP) तैयार करते हुए उसमें चिन्हित कमियों के निराकरण हेतु 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत उपलब्ध धनराशि से कार्य कराए जाने पर विचार किया जाए।

V. भारत सरकार द्वारा विकसित सुजलम भारत ऐप के माध्यम से RPWSS के अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियों (Assets) की जियो टैगिंग सुनिश्चित किए जाने हेतु नियमित समीक्षा की जाए तथा लंबित जियो टैगिंग कार्यों को अक्टूबर, 2026 तक पूर्ण किया जाए।

VI. पाइप पेयजल योजनाओं के भौतिक रूप से पूर्ण होने के उपरांत भारत सरकार द्वारा निर्गत Handing Over & Commissioning Protocol के अनुरूप मा० जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में 'जल अर्पण दिवस' का आयोजन कर योजनाओं का विधिवत ग्राम पंचायत को हस्तांतरण सुनिश्चित किए जाने की प्रगति की समीक्षा की जाए।

VII. ग्रामीण जलापूर्ति कार्यों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने तथा निष्पादित कार्यों की निगरानी को सुदृढ़ करने में तृतीय-पक्ष निरीक्षण एजेंसियों (TPIAS) की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए TPIAS द्वारा किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों की समीक्षा की जाए।

VIII. योजनाओं को CIRP (Comprehensive Implementation and Reform Plan) के अंतर्गत राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (NJJM) द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अनुरूप पूर्ण कराए जाख्ने की नियमित समीक्षा की जाए।

IX. पेयजल योजनाओं की रियल टाइम निगरानी, शिकायत निवारण एवं सूचना प्रसार हेतु विकसित 'जल सारथी ऐप' के अधिकाधिक डाउनलोड एवं उपयोग को

प्रोत्साहित किया जाए, जिससे आमजन को पेयजल योजनाओं से संबंधित वास्तविक जानकारी उपलब्ध हो सके।

2. कार्यवृत्त (Minutes of Meeting) का प्रारूप एवं संरचना

(1) दो भागों में विभाजनः बैठक का आधिकारिक कार्यवृत्त (MOM) अनिवार्य रूप से दो स्पष्ट भागों में विभाजित होगा।

(2) भाग-1 (डैशबोर्ड समीक्षा): इस भाग में केवल जिला डैशबोर्ड की विभिन्न तालिकाओं की समीक्षा, आंकड़ों का विश्लेषण और उन पर समिति द्वारा दिए गए कड़े निर्देश दर्ज किए जाएंगे।

(3) भाग-2 (विविध बिंदु): इस भाग में माननीय अध्यक्ष महोदय (जिलाधिकारी) एवं समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए अन्य प्रशासनिक, नीतिगत या स्थानीय स्तर के बिंदु शामिल होंगे।

(4) प्रारूप के कॉलम-3 (अनुपालन हेतु): कार्यवृत्त के प्रारूप में 'कॉलम नंबर 3' को पूरी तरह से "अनुपालन" (Action Taken Report) के लिए सुरक्षित रखा जाएगा।

(5) बिंदुओं को ड्रॉप (Drop) करने का नियमः जिन निर्देशों या बिंदुओं का अनुपालन पूरी तरह से (100%) पूर्ण हो जाएगा, उन्हें समिति की आगामी (अगली) बैठक में सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की सूची से हटा (Drop) दिया जाएगा।

3. पोर्टल अपलोडिंग, डिजिटल हस्ताक्षर एवं समय-सीमा

(1) 7-दिवसीय समय-सीमा: DWSM समिति की बैठक संपन्न होने के अधिकतम 07 दिनों के भीतर कार्यवृत्त को हर हाल में JJM पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है।

(2) ऑनलाइन माध्यमः कार्यवृत्त को केवल और केवल जल जीवन मिशन (JJM) के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन मोड में ही प्रोसेस किया जाएगा।

(3) द्वि-स्तरीय डिजिटल हस्ताक्षरः

I. सबसे पहले सदस्य सचिव (Member Secretary) अपने डिजिटल हस्ताक्षर (Digital Signature) से कार्यवृत्त को सत्यापित करेंगे।

II. उसके उपरान्त समिति के अध्यक्ष (Chairperson / DM) के डिजिटल हस्ताक्षर होने के वाद ही प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी।

(4) फोटोग्राफिक साक्ष्यः बैठक की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए बैठक की कम से कम एक स्पष्ट फोटो कार्यवृत्त के साथ पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।

4. राज्य स्तर (SWSM) पर मॉनिटरिंग एवं एस्केलेशन

(1) 72-घंटे की समय-सीमाः राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) स्तर पर संबंधित जनपद के लिए तैनात नोडल अधिकारी पोर्टल पर कार्यवृत्त अपलोड होने के ठीक 72 घंटे के भीतर उसका विस्तृत अवलोकन (Review) सुनिश्चित करेंगे।

(2) उच्चाधिकारियों को प्रस्तुतीकरणः यदि अवलोकन के दौरान नोडल अधिकारी को कार्यवृत्त में कोई विशेष तकनीकी बिंदु, गंभीर शिथिलता या नीतिगत प्रकरण दिखाई देता है, तो वे उसे तुरन्त निर्णय हेतु प्रस्तुत करेंगे।

(3) सम्बन्धित अधिकारीः नोडल अधिकारी द्वारा ऐसे गंभीर मामलों को तत्काल अधिशासी निदेशक (Executive Director) या यूनिट कोऑर्डिनेटर (तकनीकी) के समक्ष अग्रिम कार्यवाही के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

इस सम्बन्ध में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक के उपरान्त निर्गत किये जाने वाले कार्यवृत्त का डैशबोर्ड पर उपलब्ध प्रारूप संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पाइप पेयजल योजनाओं की उपरोक्तानुसार समीक्षा कराते हुए इन्हें समय पर पूर्ण कराया जाना तथा सुचारू रूप से संचालित कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीय,
Digitally signed by
ANURAG SRIVASTAVA
Date: 20-07-2026
18:16:54
(अनुराग श्रीवास्तव)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-33 /2026/1553(1)/छिहत्तर-1-2026(2027542),तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. यूनिट कोऑडिनेटर (तकनीकी), राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
5. नोडल (तकनीकी)
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Digitally signed by
AMBRISH KUMAR SINGH
Date: 21-07-2026
(डॉ० अम्बरीष कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या-33/2026/1553/छिहत्तर-1-2026(CN2027542), दिनांक 21.07.2026 का संलग्नक।

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक --------- को जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति (DWSM) की बैठक जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे:

S.No	Name	Designation	Department

बैठक के दौरान JJM Dashboard पर उपलब्ध विभिन्न बिंदुओं एवं आंकड़ों जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा विस्तृत एवं गहन समीक्षा की गई, जो निम्नवत् है:-

Table No-1: Jal Nigam Under Construction (UC) Scheme Progress

Table No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि "........."

Table No-1A: Jal Nigam Operation and Maintenance Scheme Progress

Table No-1A के अंतर्गत संचालन एवं अनुरक्षण (Operation & Maintenance) के अधीन संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि "................"

Table No-1B: Jal Nigam Retrofit Scheme Progress

Table No-1B में जल निगम की रेट्रोफिट योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि"................"

Table No-2: Physical Progress Phase wise

Table No-2 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत Phase wise योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि"................"

Cable No-2A: Single Village Scheme Physical Progress

Table No-2A में जल जीवन मिशन के अंतर्गत एकल ग्राम पेयजल योजनाओं की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि "................"

Table No-3: RWS (Regular Water Supply Villages) disruption

Table No-3 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नियमित पेयजल आपूर्ति वाले ग्रामों में जलापूर्ति व्यवधान की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि "................"

Table No-4: Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration

Table No-4 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration वाले ग्रामों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि "................"

Table No-4A: RPWSS Village Details

Table No-4A में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पाइप्ड पेयजल आपूर्ति योजनाओं Sujal Gaon ID/RPWSS ID की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि"................"

Table No-5: Components Wise Physical Progress

Table No-5 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजना के विभिन्न घटकों की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि "................"

Table No-6: Unified Command and Control System (UCCS)-Automation

Table No-6 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजना के अंतर्गत लगाए गए Unified Command and Control System (UCCS)-Automation की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि "................"

Table No-7: Grievance Redressal System

Table No-7 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि "................"

Table No-8: भारत सरकार द्वारा निर्धारित, प्रदेश के **Arsenic/Fluoride/JE/AES** प्रभावित क्षेत्रों का विवरण

Table No-8 में आर्सेनिक / फ्लॉराइड/ जेई/एई प्रभावित ग्रामों में पेयजल कि सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि "................"

Table No-9: Water Quality

Table No-9 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत उपलब्ध कराए जा रहे पेयजल कि गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि "................"

Table No-10: Automation Integrated Schemes

Table No-10 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत सभी पेयजल योजनाओ पर पानी कि गुणवत्ता एवं नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने तथा live monitoring के लिए Scada / Automation Integrated Schemes लगाए जाने के लिए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि "................"

उपरोक्त के अतिरिक्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि "................"

वैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

Digitally signed by
AMBRISH KUMAR SINGH
Date: 21-07-2026
12:02:30